कार्यालय नगर निगम जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर 302015)

क्रमांक एफ–5( )कार्मिक/साप्र./ननिज/2026/ 147 दिनांकः– 29/04/2026

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार, गृह (ग्रुप–2) विभाग की स्वीकृति संख्या–19/2025–26 के द्वारा राज्य में पदस्थापित पुलिस विभाग के कानिस्टेबल से सहायक उपनिरीक्षक, कारागार विभाग में प्रहरी से उप कारापाल एवं होमगार्ड विभाग में कानिस्टेबल से हैड कानिस्टेबल स्तर तक के स्थायी कार्मिकों को वर्तमान में स्वीकृत वर्दी भत्ता राशि रूपये 7000/– प्रतिवर्ष को बढाकर वित्तीय वर्ष 2025–26 से राशि 8000/– प्रतिवर्ष किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

नगर निगम जयपुर में सतर्कता शाखा में कार्यरत कानिस्टेबल से सहायक उपनिरीक्षक स्तर तक के स्थायी कार्मिकों को वर्ष 2026–2027 के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर 8000/–रूपये (अक्षरे आठ हजार रूपये मात्र) प्रति कार्मिक वर्दी एवं किट भत्ता का नकद भुगतान दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

एक मुश्त वर्दी एवं किट भत्ता प्राप्त करने वाले समस्त पुलिस कर्मी स्वंय के स्तर पर क्रय कर निर्धारित पैटर्न के अनुसार ही वर्दी पहनना सुनिश्चित करेंगे। सभी सुपरवाईजरी अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि उनके अधीनस्थ सभी कर्मचारियों द्वारा विभागीय पैटर्न के अनुसार वर्दी धारण की जा रही है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(नरेन्द्र कुमार बंसल)
अतिरिक्त आयुक्त
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपि :–

1. निजी सहायक, प्रशासक, नगर निगम जयपुर
2. निजी सहायक, आयुक्त, नगर निगम जयपुर
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम जयपुर
4. उपायुक्त सतर्कता, नगर निगम जयपुर
5. वित्तीय सलाहकार, नगर निगम जयपुर
6. सहायक लेखाधिकारी–प्रथम (कार्मिक), नगर निगम जयपुर
7. सहायक लेखाधिकारी (भुगतान), नगर निगम जयपुर
8. संस्थापन लिपिक
9. प्रभारी ओसवाल डाटा, नगर निगम जयपुर
10. गार्ड फाईल

अतिरिक्त आयुक्त
नगर निगम जयपुर

Document certified by NARENDRA KUMAR BANSAL <PROGRAMJMC@GMAIL.COM>.

RajKaj Ref No.: 21790418
eSign DSC

Digitally Signed by Narendra Kumar Bansal
Designation : Additional Commissioner
Date :24-04-2026 04:45:42